[2019] 7 एस. सी. आर 102

अपने पावर एजेंट जी. रुक्मनी द्वारा गणेशन का जवाब

गणेशन

वी.

द कमिश्नर, द तमिल नाडु हिंदू

धार्मिक और विशेषता संपन्नता बोर्ड और

ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 4582)

03 मई, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती धर्मार्थ अधिनियम, 1959-ss. 6 (6) ,

6 (7) , 63 , 69 , 70 , 110 और 115 सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 5 -

की प्रयोज्यता-हिंदू धार्मिक और संयुक्त आयुक्त

चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड ने एक आदेश पारित कर उस अपीलार्थी को अभिनिर्धारित किया

अपने गाँव में अंबलम अधिकार का हकदार था-तीसरा प्रतिवादी

यू/एस के तहत एक अपील दायर की। 69 अधिनियम का-तीसरे प्रतिवादी द्वारा क्षमा के लिए प्रार्थना करते हुए एक विलंब क्षमा आवेदन भी दायर किया गया था

266 दिनों की देरी-आयुक्त द्वारा देरी को माफ कर दिया गया था -

क्षमा करने के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी

देरी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपील में

आयुक्त एस के समक्ष कार्यवाही। 5 सीमा अधिनियम की धारा पूरी तरह से लागू थी-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि अधिनियम,

1959 सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है।

– अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एस सहित सीमा अधिनियम के प्रावधान। 5

वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अपील का निर्णय लेने में लागू किया जा सकता है जो

विशेष या स्थानीय कानून की वैधानिक योजना द्वारा न्यायालय नहीं है

-—

आयुक्त अधिनियम, 1959 के अर्थ में न्यायालय नहीं है -

कुछ भी नहीं है यू / अधिनियम, 1959 का s.110 जो इंगित करता है कि

अपील की सुनवाई में सीमा अधिनियम भी लागू किया जाता है -

एस का प्रावधान। 69 अधिनियम, 1959 यह भी इंगित करता है कि विधानमंडल ने कभी भी एस की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया। 5 कार्यवाही में सीमा अधिनियम

आयुक्त के समक्ष-इसके अलावा, अधिनियम, 1959 का s.115 इंगित करता है

कि केवल सीमा की गणना के लिए प्रावधान किया गया है

अधिनियम, 1959 की धाराओं के अधीन कार्यवाहियों को लागू करना। 115 अधिनियम, 1959 एस की प्रयोज्यता प्रदान करने के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। 5 से

सीमा अधिनियम-योजना में कोई अन्य प्रावधान नहीं है

जिसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिनियम, 1959 का उद्देश्य एस की प्रयोज्यता है। 5

102 गणेशन वी. COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड

आयोग के समक्ष अपील की कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम इस प्रकार, सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम, 1959 की योजना के अनुसार लागू नहीं होती है।

हिंदू धार्मिक दान धर्मार्थ अधिनियम, 1959 - धारा 69-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आयुक्त जो इसके लिए सशक्त है

अपील यू/एस पर निर्णय लें। 69 अधिनियम, 1959 का न्यायालय नहीं है-आयोजितः एस में निहित न्यायालय की परिभाषा। 6 (7) यह इंगित करता है कि अधिनियम, 1959 जिस न्यायालय को संदर्भित करता है वह राज्य में बनाया गया एक दीवानी न्यायालय है-अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आयुक्त अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है-आयुक्त को अधिनियम के तहत विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और आयुक्त को सौंपे गए कार्यों में से एक अपील की सुनवाई है। 69 अधिनियम, 1959-इसके अलावा, कोई भी पक्ष व्यथित है आयुक्त यू/एस के आदेश से। 69 (1) और 69 (2) न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। एस. 70 ऐसे आदेश के खिलाफ-जब कोई अपील की जाती है

आयुक्त यू/एस के आदेश के विरुद्ध प्रदान किया गया। 69 अदालत में

जिसे यू/परिभाषित किया गया है धारा 6 (7), आयुक्त को अधिनियम, 1959 की सांविधिक योजना के तहत एक न्यायालय के रूप में मानने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए आयुक्त अधिनियम, 1959 के अर्थ के भीतर एक न्यायालय नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः क्या आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई करते हुए

धर्मार्थ अधिनियम, 1959, एक न्यायालय है?

1. धारा 6 (7) में निहित न्यायालय की परिभाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि जो अधिनियम, 1959 न्यायालय को संदर्भित करता है वह राज्य में बनाया गया दीवानी न्यायालय है। अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आयुक्त अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण है जिसे होना है सरकार द्वारा नियुक्त। आयुक्त को अधिनियम के तहत विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और आयुक्त को सौंपे गए कार्यों में से एक अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई है। [पैरा 15] [113-ई]

2. अधिनियम की धारा 70 में आगे यह प्रावधान है कि कोई भी पक्ष उप-धारा के तहत आयुक्त के आदेश से व्यथित है।

(1) या धारा 69 की उप-धारा (2) ऐसे आदेश के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है। जब न्यायालय को धारा 69 के तहत आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील प्रदान की जाती है जो है - धारा 6 (7) के तहत परिभाषित, [2019] 7 एस. सी. आर. का इलाज करने का कोई सवाल ही नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्या सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की प्रयोज्यता किसी मुकदमे, अपील के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं के संबंध में है या केवल न्यायालय या धारा 29 (2) में दायर किए जाने वाले आवेदन को मुकदमा, अपील या अपील दायर करने के संबंध में सेवा में दबाया जा सकता है।

विशेष या स्थानीय कानूनों में प्रदान किए गए वैधानिक प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों के समक्ष आवेदन? क्या आयुक्त अधिनियम 1959 की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई करते समय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करते हुए अपील दायर करने में देरी को माफ करने का हकदार है?

3. आपस में जुड़े होने के कारण दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों, विशेष रूप से तीन न्यायाधीशों की पीठों के फैसलों से जो अनुपात लिया जा सकता है, वह इस प्रकार हैः

(1) सीमा अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट वाद, अपील और आवेदन ऐसे वाद, अपील और आवेदन हैं जो

अदालत में दायर किया जाना है।

(2) सीमा अधिनियम में निर्दिष्ट वाद, अपील और आवेदन ऐसे वाद, अपील और आवेदन नहीं हैं जो अधिनियम, 1959 के तहत आयुक्त जैसे सांविधिक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल किए जाने हैं।

(3) सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) का संचालन है -

न्यायालय में दायर किए जाने वाले विशेष या स्थानीय कानून में निर्दिष्ट मुकदमों, अपीलों और आवेदनों तक सीमित और अधिनियम, 1959 के तहत आयुक्त जैसे वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष नहीं।

(4) हालांकि, विशेष या स्थानीय कानून वैधानिक योजना के माध्यम से सीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू कर सकता है या बाहर कर सकता है सीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता जो तय की जा सकती है

विशेष, विशेष या स्थानीय कानून की योजना को देखने के बाद ही। [पैरा 54] [139-ए-ई]

3.1 इस प्रकार, प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया जाता हैः

(i) सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की प्रयोज्यता गणेशन v है।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड

एक विशेष या स्थानीय कानून में प्रदान किए गए प्राधिकरण और न्यायाधिकरण। आयुक्त अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई करते हुए अपील दायर करने में देरी को माफ करने का हकदार नहीं है। चूंकि, धारा 5 का प्रावधान अधिनियम की धारा 29 (2) के बल से आकर्षित नहीं होगा। [पैरा 55] [139-ई-जी]

क्या अधिनियम 1959 की सांविधिक योजना इंगित करती है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 इससे पहले की कार्यवाही पर लागू होती है

इसके अधिकारी?

4. एक विशेष या स्थानीय कानून बहुत अच्छी तरह से प्रदान कर सकता है

सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अपील का निर्णय करना जो न्यायालय नहीं है विशेष या स्थानीय कानून की वैधानिक योजना। इस प्रकार, इस न्यायालय को अधिनियम, 1959 के प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम, 1959 के तहत योजना से पता चलता है कि अधिनियम लागू करने का इरादा रखता है।

सीमा अधिनियम की धारा 5। [पैरा 56] [139-एच; 140-ए-बी]

5. केवल यह तथ्य कि एक सांविधिक प्राधिकारी को प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है जो लगभग इसके अनुसार हो सकता है सी. पी. सी. के अधीन मुकदमों के विचारण या अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया, सांविधिक प्राधिकारी न्यायालय नहीं बनेगा। धारा 110 के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता हो कि अपील की सुनवाई में सीमा अधिनियम भी लागू किया गया है। [पैरा 58] [140-एफ-जी]

6. धारा 115 परिसीमा से संबंधित है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि अधिनियम, 1959 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना में

इस अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश या डिक्री के खिलाफ संशोधन के लिए किसी भी कार्यवाही, वाद, अपील या आवेदन के लिए, ऐसे आदेश या डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय होगा -

बहिष्कृत। [पैरा 59] [140-जी-एच] 7. अधिनियम, 1959 की धारा 69 के प्रावधान से यह भी संकेत मिलता है कि विधानमंडल ने कभी भी अधिनियम की धारा 5 को लागू करने पर विचार नहीं किया।

आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में सीमा अधिनियम।

69 (2) ऊपर उल्लिखित प्रावधान है कि संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित कोई भी आदेश, जैसा भी मामला हो,

जिनके संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई है, आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और आयुक्त इसके लिए आह्वान और जांच कर सकता है। ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता या संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कार्यवाहियों के अभिलेख। [पैरा 60] [141-ए-सी]

8. इस प्रकार, धारा 69 (2) आयुक्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए अभिलेखों की मांग करने और उनकी जांच करने की शक्ति देती है।

संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त की कार्यवाहियां जिनके संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई है। इस प्रकार, किसी मामले में संयुक्त आयुक्त या आयोग के आदेश के खिलाफ 60 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं की जाती है। उपायुक्त, आयुक्त के पास अभिलेखों को बुलाने और उनकी जांच करने की स्वतः संज्ञान शक्ति होती है। आयुक्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त के आदेशों को सही करने की शक्ति दी गई है, भले ही 60 दिनों के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई हो। आयुक्त को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि एक आदेश पारित किया जाए

धारा 69 (1) के तहत समय के भीतर अपील दायर नहीं किए जाने पर संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा सुधार किया जा सकता है। धारा 69 की योजना विशेष रूप से उप-धारा (2) भी

हमारे इस निष्कर्ष को लागू करता है कि विधानमंडल ने कभी विचार नहीं किया

सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए धारा 69 (1) में धारा 5 की प्रयोज्यता।

[पैरा 61] [141-सी-एफ]

9. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल सीमा की गणना के लिए प्रावधान लागू किया गया है अधिनियम, 1959 के तहत कार्यवाही। धारा 115 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि धारा 5 लागू हो। वहाँ कोई नहीं है

उस योजना का अन्य प्रावधान जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिनियम, 1959 का उद्देश्य आयोग के समक्ष अपील की कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करना है। इस प्रकार, सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम, 1959 की योजना के अनुसार लागू नहीं होती है। [पैरा 63] [142-ए-बी] गणेशन बनाम।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और चरित्र आर्थिक विकास बोर्ड

पी. सारथी बनाम भारतीय स्टेट बैंक (2000) 5 एस. सी. सी.

355 : [2000] 1 पूरक। एससीआर 402-प्रतिष्ठित। बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम। एम/एस।

पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर (1975) 4 एससीसी 22; नगर नगर परिषद, अथानी बनाम। अध्यक्षता करने वाले

अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली (1969) 1 एस. सी. सी. 873: [1970]

1 एस. सी. आर. 51; नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य। वी. जीवन.

भारतीय बीमा निगम और अन्य (1965) 2

एस. सी. सी. 199; सकुरू बनाम। तानाजी, 1985 (3) एससीसी 590: [1985]

2 पूरक। एस. सी. आर. 109; विशेष कार्य अधिकारी (भूमि)

अधिग्रहण) और एक अन्य वी। शाह मणिलाल चंदूलाल

और अन्य (1996) 9 एससीसी 414; समेकित

इंजीनियरिंग उद्यम बनाम। प्रधान सचिव,

सिंचाई विभाग और अन्य (2008) 7 एससीसी 169; एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम केंद्रीय आयुक्त

उत्पाद शुल्क 2015 (7) एस. सी. सी. 58-पर निर्भर था।

दास एंड संस, बरेली (1976) 4 एस. सी. सी. 464 मध्य प्रदेश और एक अन्य वी। अंशुमन शुक्ला

(2014) 10 एससीसी 814: [2014] 11 एस. सी. आर. 361; सैयद जलिल

अख्तर बनाम। जिला सहकारी कृषि अवाम ग्राम विकास बैंक, माइट। , (2016) 12 एस. सी. सी. 365; मुकरी गोपालन बनाम। चेप्पिलाट

पुथनपुरायिल अबूबकर (1995) 5 एस. सी. सी. 5: [1995] 2

पूरक। एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 पूरक। एससीआर 402

प्रतिष्ठित

पैरा

18

(1975) 4 एससीसी 22

उस पर भरोसा करें

पैरा

20

[1970] 1 एससीआर 51

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

(1965) 2 एससीसी 199

उस पर भरोसा करें

पैरा

26

[1977] 1 एससीआर 996

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[1985] 2 पूरक। एससीआर 109

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

(1996) 9 एस. सी. सी. 414

पैरा

33

[201

9] 7 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2008) 7 एससीसी 169

उस पर भरोसा करें

पै

रा 34

उस पर भरोसा करें

2015 (7) एससीसी 58

पै

रा 39

(1976) 4 एस. सी. सी. 464

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

[1995] 2 पूरक। एससीआर 1

पै

रा 45

संदर्भित किया गया है

[2014] 11 एससीआर 361

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

(2016) 12 एससीसी 365

पै

रा 52

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4582

2019 से।

मदुरै के 04.12.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. ए. में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ (एम. डी.) 2014 की सं. 1094।

एम. अजमल खान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. लक्ष्मीनारायणन, कर्री वेंकट

रेड्डी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. पी. पार्थिबन, आर. एस. वैराकिन, आर.

सुधतियवन, विनोद कन्ना बी., अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे।

1. यह अपील दिनांक 04.12.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने रिट अपील को खारिज कर दिया

अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया। अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ रिट अपील दायर की थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा तमिलनाडु हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड के आयुक्त दिनांक 2 के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए दायर निर्णय रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

2. निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए

अपील इस प्रकार हैः -

2.1 अपीलार्थी ने हिंदू की धारा 63 के तहत एक आवेदन दायर किया

धार्मिक दान धर्मार्थ अधिनियम, 1959 (इसके बाद)

अधिनियम 1959 के रूप में संदर्भित) अपने अंबलम अधिकार का दावा करते हुए। द.
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ के संयुक्त आयुक्त

अम्बलम अधिकार और अम्बलम के रूप में पहला सम्मान प्राप्त करना तमिलनाडु के शिवगंगी जिले के तिरुपथर्तलु गाँव में।

एन. वी. COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और चरित्रवान

समापन बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें दिनांकित 31.12.2010 के W.P.M.D होने के आदेश को चुनौती दी गई थी। 2011 राधा कृष्णन और 2012 के डब्ल्यू. पी. No.185 द्वारा माधवन द्वारा दायर किया गया। दोनों रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 10.01.2012 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। ए W.P.M.D।

2012 का संख्या 379 लक्ष्मणन द्वारा दायर किया गया था जिसमें शुरू में 12.01.2012 दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। तीसरे प्रतिवादी पी. आर. रामनाथन ने संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 2 के आदेश के खिलाफ 2012 की अपील दायर की। तीसरे प्रतिवादी द्वारा दायर अपील अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत थी। 2013 का W.P.M.D. No.3379 तीसरे प्रतिवादी पी. आर. रामनाथन द्वारा दायर किया गया था। अधिनियम 1959 की धारा 69 के तहत दायर उनकी वैधानिक अपील पर निर्णय लेने का निर्देश। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आयुक्त को आदेश की प्रतिलिपि की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर अपील का शीघ्रता से और किसी भी मामले में निपटान करने का निर्देश दिया।

तीसरे प्रतिवादी द्वारा अपनी अपील सं. 1 में दिनांकित एक विलम्ब क्षमा आवेदन दायर किया गया था। 2007 2012 में 266 दिनों की देरी के लिए माफी की प्रार्थना की गई। देरी का कारण यह दिखाया गया कि तीसरा प्रतिवादी 7 से 8 महीने से बीमार था और अपने वकील को निर्देश देने के लिए चेन्नई की यात्रा करने में असमर्थ था। अपीलार्थी द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें तीसरे प्रतिवादी द्वारा माफी के लिए दायर आवेदन पर आपत्ति जताई गई थी।

विलम्ब। अपने जवाबी हलफनामे में अपीलार्थी ने एक याचिका दायर की कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होती है।

विद्वान आयुक्त ने अपील दायर करने में 266 दिनों की देरी को माफ करते हुए 31.07.2013 दिनांकित एक आदेश पारित किया। दिनांकित 31.07.2013 आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा 2013 की W.P.M.D. संख्या 13804 के रूप में रिट याचिका दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम 1959 के कुछ प्रावधानों का भी उल्लेख किया

5 सीमा अधिनियम पूरी तरह से लागू है और पर्याप्त कारण है और देरी को उचित रूप से माफ कर दिया गया है कमिश्नर। विद्वान के फैसले के खिलाफ व्यथित

एकल न्यायाधीश, रिट अपील अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है जिसे विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.5 मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने

इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करने और अधिनियम, 1959 के विभिन्न प्रावधानों को संदर्भित करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम 1959 सीमा अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है। डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित अपीलार्थी

दिनांकित 04.12.2017 इस अपील में सामने आया है।

3. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. अजमल खान और तीसरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री S.Nagvathu को उपस्थित होते सुना है। प्रत्यर्थी, साथ ही राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि आयुक्त के पास सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयुक्त जिसे अधिनियम 1959 की धारा 69 के तहत अपील पर निर्णय लेने का अधिकार है, वह अदालत नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि धारा 6 (6) आयुक्त को परिभाषित करती है जबकि धारा 6 (7) न्यायालय को परिभाषित करती है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आयुक्त न्यायालय नहीं है। यह है।

प्रस्तुत किया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 केवल लागू होती है

एक अदालत के समक्ष दायर आवेदन। आयुक्त न्यायालय नहीं होने के कारण, सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होती थी।

5. उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम 1959 की धारा 115 के आधार पर, सीमा अधिनियम का एकमात्र प्रावधान जिसे लागू किया गया है।

यह है कि आदेश या डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा। वह प्रस्तुत करता है कि विशेष रूप से प्रावधानों को लागू करना

6. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि आयुक्त है अधिनियम 1959 में परिभाषित न्यायालय नहीं, बल्कि यह सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए एक न्यायालय है। धारा 110 पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि अपील की सुनवाई के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत प्रक्रिया के अनुसार मुकदमों के मुकदमे या अपीलों की सुनवाई के लिए लगभग हो सकती है। इस प्रकार आयुक्त के पास अपील की सुनवाई के लिए न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

अधिनियम 1959 के तहत अधिकारियों के पास अदालत का जाल था। आयुक्त अपील पर न्यायिक तरीके से निर्णय लेते हैं। अधिनियम 1959 की योजना गणेशन बनाम नहीं है।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

यह इंगित करता है कि इसका कभी भी सीमा अधिनियम की धारा 5 को बाहर करने का इरादा नहीं था। रिलायंस को सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) पर रखा गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि इस अधिनियम की धारा 5 का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। सीमा अधिनियम, सीमा अधिनियम की धारा 5 आयुक्त द्वारा एक अपील की सुनवाई में पूरी तरह से आकर्षित होती है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने इस पर भरोसा किया है

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय जिन्हें उनकी दलीलों पर विस्तार से विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा। 8. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, निम्नलिखित प्रश्न हैं जो इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

क्या आयुक्त के अधीन अपील की सुनवाई करते समय

1)

अधिनियम, 1959 की धारा 69 एक न्यायालय है?

क्या सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) लागू होती है

2)

किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं के संबंध में केवल किसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है या धारा 29 (2) को वैधानिक प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मुकदमा, अपील या आवेदन दायर करने के संबंध में सेवा में दबाया जा सकता है। विशेष या स्थानीय कानूनों में प्रदान किया गया?

क्या आयुक्त के अधीन अपील की सुनवाई करते समय

3)

अधिनियम 1959 की धारा 69 सीमा की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करते हुए अपील दायर करने में देरी को माफ करने का हकदार है।

अधिनियम, 1963?

4)

क्या अधिनियम 1959 की सांविधिक योजना इंगित करती है कि

सीमा अधिनियम की धारा 5 इससे पहले की कार्यवाही पर लागू होती है।

इसके अधिकारी?

प्रश्न संख्या 1

9. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इसके संदर्भ में दिया जाना चाहिए

तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959।

"आयुक्त" और "न्यायालय" दोनों को अधिनियम, 1959 के तहत परिभाषित किया गया है। आयुक्त को धारा 6 (6) के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" धारा 6 (6) "आयुक्त" का अर्थ है नियुक्त आयुक्त।

धारा 9 के तहत; "

10. न्यायालय को धारा 6 (7) में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया हैः

" धारा 6 (7) "न्यायालय" का अर्थ है-(i) प्रेसीडेंसी शहर, चेन्नई सिटी सिविल कोर्ट में स्थित एक मठ या मंदिर के संबंध में;

((ii) किसी अन्य स्थान पर स्थित मठ या मंदिर के संबंध में,

क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय

जो मठ या मंदिर स्थित है, या यदि ऐसा कोई न्यायालय नहीं है,

((ग) किसी मठ या मंदिर से संबद्ध किसी विशिष्ट निधि के संबंध में, वह न्यायालय जिसके पास मठ या मंदिर के संबंध में उपरोक्त अधिकारिता होगी; ((iv) दो या दो से अधिक मठों या मंदिरों से संबद्ध किसी विशिष्ट निधि के संबंध में, कोई भी न्यायालय जिसके पास ऐसे किसी भी मठ या मंदिर के संबंध में उपरोक्त अधिकार क्षेत्र होगा।

11. अधिनियम, 1959 की धारा 8 सी. टी. के तहत अधिकारियों की गणना करती है। धारा 8 इस प्रकार हैः

" धारा 8. अधिनियम के तहत प्राधिकरण-वहाँ होगा इस अधिनियम के तहत प्राधिकरणों के निम्नलिखित वर्ग, अर्थात्।

((क) अतिरिक्त आयुक्त; (ख) संयुक्त आयुक्त;

(ग) उपायुक्त; और

(घ) सहायक आयुक्त।

12. धारा 9 (1) में प्रावधान है कि सरकार मिशनरी की नियुक्ति करेगी जैसा वह उचित समझे। धारा 9 (2) विभिन्न तरीके प्रदान करती है।

आयुक्त के पद की ओर इशारा करना।

13. न्यायालय की परिभाषा न्याय के प्रशासन के लिए राज्य में गठित सिविल न्यायालय को संदर्भित करती है। पी. द्वारा उन्नत विधि शब्दकोश में उल्लिखित न्यायालय का पारंपरिक निर्णय।

अनाथा अय्यर, तीसरा संस्करण हैः

" कोक ऑन लिटिलटन में एक न्यायालय को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है जहां न्याय न्यायिक रूप से प्रशासित किया जाता है। प्रत्येक न्यायालय में कम से कम तीन घटक भाग होने चाहिए- अभिनेता, रेउस और जूडेक्सः अभिनेता, या वादी, जो शिकायत करता है या चोट पहुँचाता है; कारण, या प्रतिवादी, जिसे इसके लिए संतुष्टि देने के लिए बुलाया जाता है; और न्यायिक, या न्यायिक शक्ति, जो तथ्य की सच्चाई की जांच करने के लिए है, और GANESAN v.

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

उस तथ्य पर उत्पन्न होने वाली कानून का निर्धारण करना, और यदि कोई क्षति हुई प्रतीत होती है, तो इसका पता लगाने के लिए, और ख इसके अधिकारियों को उपचार लागू करने के लिए, "(3 स्टेफ। कॉम. छठवाँ संस्करण, pp.383,385)। 30 एम. 326 भी देखें। 2 एम. एल. टी. 267, न्यायालय सरकार में एक निकाय है जिसके लिए न्याय के लोक प्रशासन को प्रत्यायोजित किया जाता है; एक संगठित निकाय, जिसके पास परिभाषित शक्तियां होती हैं, कुछ समय और स्थानों पर बैठक होती है, ताकि उसके सामने लाए गए कारणों और अन्य मामलों की सुनवाई और निर्णय लिया जा सके, और इसके उचित कार्य में उसके उचित अधिकारियों द्वारा सहायता की जा सके। , वकीलों और वकीलों, व्यवसाय को प्रस्तुत करने और प्रबंधित करने के लिए, क्लर्कों को इसके कार्यों और निर्णयों को दर्ज करने और प्रमाणित करने के लिए, और मंत्रिस्तरीय अधिकारियों को इसके आदेशों को निष्पादित करने और इसकी कार्यवाही में सुरक्षित व्यवस्था के लिए।

14. इस देश में न्यायालय का गठन विधायी अधिनियमों द्वारा किया गया है। दीवानी न्यायालयों के गठन के लिए, बंगाल, आगरा और असम

दीवानी अदालत अधिनियम, 1887 अधिनियमित किया गया था जिसमें दीवानी अदालतों के वर्ग प्रदान किए गए थे और जिला न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफ़ों की अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी तरह बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास शहर में दीवानी अदालतों के लिए प्रेसीडेंसी लघु कारण अधिनियम, 1882 अधिनियमित किया गया था। 15. इस प्रकार, धारा 6 (7) में निहित न्यायालय की परिभाषा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अधिनियम, 1959 किस न्यायालय को संदर्भित करता है

राज्य में निर्मित दीवानी न्यायालय। अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आयुक्त अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है। आयुक्त को अधिनियम के तहत विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं और आयुक्त को सौंपे गए कार्यों में से एक अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई है। वर्तमान मामले में हम धारा 69 से संबंधित हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" धारा 69। आयुक्त से अपील करें।

आयुक्त और आयुक्त उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जो वह उचित समझे। (2) [यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त] द्वारा पारित कोई आदेश, जिसके संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई है।

आयुक्त द्वारा स्वतः संशोधित किया जा सकता है और

आयुक्त अभिलेखों को मंगाकर उनकी जांच कर सकते हैं।

इस तरह की नियमितता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए कार्यवाही कार्यवाही या किसी निर्णय की शुद्धता, वैधता या औचित्य

या 1 [संयुक्त आयुक्त या उप आयुक्त द्वारा पारित आदेश

आयुक्त, जैसा भी मामला हो]। द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश

1 द्वारा पारित आदेश के संबंध में आयुक्त [संयुक्त

आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो],

आयुक्त द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा

उप-धारा (1) के तहत उसके समक्ष अपील की गई। (3) आयुक्त द्वारा ऐसी अपील पर पारित कोई भी आदेश

जो अगली उत्तरवर्ती धारा के तहत न्यायालय के लिए कोई मुकदमा नहीं है

या जिसमें समय के भीतर न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है

धारा 70 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट को संशोधित किया जा सकता है या

यदि आदेश का निपटारा या संशोधन हो गया है तो आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया है।

किसी धार्मिक संस्था या संबंधित के प्रशासन के लिए एक योजना

धारा 66 में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए।

16. अधिनियम की धारा 70 में आगे यह प्रावधान है कि कोई भी पक्ष व्यथित है

उप-धारा (1) या उप-धारा 69 के तहत आयुक्त का आदेश ऐसे आदेश के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। अनुभाग

इस प्रकार है:

" धारा 70। मुकदमे और अपीलें। - (1) कोई भी पक्ष जिससे व्यथित हो

आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश "

(i) धारा 69 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत और धारा 63, धारा 64 या धारा में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित।

67 ; या

((ii) धारा 22 की उप-धारा (1) (क), 2 या (4) (क) के साथ पठित धारा 63, धारा 64 या धारा 67 के अधीन या धारा 65 के अधीन, उसके द्वारा ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, ऐसे आदेश के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करें, और न्यायालय ऐसे आदेश को संशोधित या रद्द कर सकता है, लेकिन उसके पास इस पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

मुकदमे के निपटारे तक आयुक्त का आदेश।

(2) उप के अधीन न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी पक्षकार

धारा (1), डिक्री की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। गणेशन वी.

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

17. जब आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है

न्यायालय की धारा 69 के तहत आयुक्त, जिसे धारा 6 (7) के तहत परिभाषित किया गया है, अधिनियम, 1959 की वैधानिक योजना के तहत आयुक्त को न्यायालय के रूप में मानने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आयुक्त अधिनियम, 1959 के अर्थ में न्यायालय नहीं है।

18. तथापि, हम पी. सारथी बनाम भारतीय स्टेट बैंक, (2000) 5 एस. सी. सी. 355 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं। उपरोक्त मामले में

श्रम उपायुक्त (अपील) तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 41 (2) के तहत अपील की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए गठित एक प्राधिकरण था। अपीलार्थी, भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी को नियमित विभागीय कार्यवाही करने के बाद 11.01.1983 दिनांकित एक आदेश द्वारा हटा दिया गया था। अपीलार्थी ने तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 41 (2) के तहत एक अपील दायर की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 के प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। उक्त अपील को खारिज करने के बाद श्रम उपायुक्त (अपील) दिनांक 01.09.1987 के आदेशों को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है। इसके बाद अपीलार्थी ने सिटी सिविल कोर्ट में एक नियमित मुकदमा दायर किया, जहां सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न विचार के लिए आया। उपरोक्त मामले में पैराग्राफ 3 में इस मुद्दे को निम्नलिखित प्रभाव से नोट किया गया थाः

" 3. सीमा की अवधि के भीतर एक मुकदमा लाने के लिए, अपीलार्थी ने इस आधार पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लाभ का दावा किया कि उसने स्थानीय बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था और, इसके बाद, तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 41 (2) के तहत एक अपील दायर की गई और इसलिए,

उचित परिश्रम के साथ अदालत में "दीवानी कार्यवाही" का मुकदमा चलाना। यह दावा किया जाता है कि पूरी अवधि जिसके दौरान वे कार्यवाही की गई थी

लंबित को बाहर करना होगा और यदि ऐसा किया जाता है, तो मुकदमा ठीक रहेगा।

सीमा के भीतर "।

19. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 12 से 15 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

" 12. यह ध्यान दिया जाएगा कि सीमा अधिनियम की धारा 14 "दीवानी अदालत" की बात नहीं करती है, बल्कि केवल "अदालत" की बात करती है। यह आवश्यक नहीं है कि धारा 14 में जिस न्यायालय का उल्लेख किया गया है, वह "दीवानी" हो। अदालत "। कोई भी प्राधिकरण या न्यायाधिकरण जिसके पास अदालत का जाल हो

इस धारा के अर्थ में एक "न्यायालय" होगा।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. तत्काल मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमारी राय है कि श्रम उपायुक्त (अपील), जो अपीलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 41 (2) के तहत गठित एक प्राधिकरण था, संविधान की धारा 14 के अर्थ में एक "अदालत" था। सीमा
अधिनियम और उनके समक्ष लंबित कार्यवाही दीवानी कार्यवाही थी। यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी अपील दायर कर सकता है।

बैंक के स्थानीय बोर्ड के समक्ष, जो विशुद्ध रूप से एक था

विभागीय अपील। मामले के इस दृष्टिकोण में, विभागीय अपील की स्थापना की तारीख से पूरी अवधि के रूप में

श्रम उपायुक्त (अपील) के समक्ष धारा 41 (2) के तहत अपील की स्थापना की तारीख से लेकर इसे खारिज किए जाने तक की अवधि को भी, इसलिए, विचाराधीन मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के लिए बाहर रखा जाएगा। यदि पूरी अवधि को बाहर रखा जाता है, तो मुकदमा, जो विवादित नहीं है,
समय के भीतर रहें। "

20. दो कारण हैं जिनके कारण उपरोक्त मामला वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। सबसे पहले, उपरोक्त मामले में यह न्यायालय था

समय (दीवानी कार्यवाही) को छोड़कर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने पर विचार करना। वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता की जांच की जानी है। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय अलग है। उपरोक्त निर्णय पर भरोसा न करने का दूसरा कारण तीन हैं-इस न्यायालय का न्यायाधीश पीठ का निर्णय

बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाम। एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर, (1975) 4 एस. सी. सी. 22. उपरोक्त मामले में यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। सवाल यह उठा कि क्या अपीलीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने में ली गई अवधि को सीमा की धारा 14 को लागू करके बाहर रखा जा सकता है।

पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल करने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 10 (3-बी)। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय प्राधिकारी और न्यायाधीश (संशोधन) न्यायालय नहीं हैं, इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होगी। पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत कर अधिकारी आपराधिक संहिता की धारा 195 के अर्थ में अदालत नहीं था।

प्रक्रिया हालांकि उसे कुछ अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि जगन्नाथ प्रसाद मामले में निर्णय गणेशन बनाम था।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया। इस न्यायालय के इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस तर्क के लिए कोई जगह नहीं है कि अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधीश (संशोधन) बिक्री कर

बिक्री कर अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली "अदालतें" हैं। वे केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं और "अदालतें नहीं" हैं। इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 14, कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

ऐसे न्यायाधिकरणों के समक्ष "।

21. तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कहा गया है कि यू. पी. बिक्री कर अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण एक अदालत नहीं है, हम पी. सारथी (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन करने के लिए राजी नहीं हैं।

प्रश्न Nos.2 और 3

22. उपरोक्त दोनों प्रश्नों को आपस में जुड़े होने के कारण एक साथ लिया गया है। इस अपील में जिस मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या आयुक्त अधिनियम की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई करते हुए,

1959 आवेदन करके अपील दायर करने में देरी को माफ करने का हकदार है

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रावधान? क्या सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 29 (2) के बल पर धारा 4 से 24 (सीमा अधिनियम सहित) के प्रावधान अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत आयुक्त के समक्ष अपील की कार्यवाही में लागू होंगे? जब विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित की जाती है, तो धारा 29 (2) के तहत विचार किया गया मुकदमा, अपील या आवेदन किसी न्यायालय में मुकदमा, अपील या आवेदन है या धारा 29 (2) में मुकदमा, अपील या आवेदन भी शामिल होगा जो वैधानिक प्राधिकरणों या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर किया जाना है? 23. सीमा अधिनियम, 1963 मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों की सीमा के लिए और उद्देश्यों के लिए कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है।

इसके साथ जुड़ा हुआ है। अधिनियम, 1963 के अधिनियमन से पहले सीमा का कानून भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के तहत सीमा के कानून द्वारा शासित था। सीमा अधिनियम, 1963 के विभिन्न प्रावधान 'न्यायालय' को संदर्भित करते हैं। धारा 4 में प्रावधान है कि जहां किसी मुकदमे, अपील या अपील के लिए निर्धारित अवधि है। आवेदन उस दिन समाप्त हो जाता है जब अदालत बंद हो जाती है, मुकदमा, अपील या आवेदन उस दिन किया जा सकता है जब अदालत फिर से खुलती है। इसी तरह, धारा 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी अपील या कोई भी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा आवेदन को निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि [2019] 7 एस. सी. आर.

उसके पास अपील नहीं करने या अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण है। ऐसी अवधि के भीतर आवेदन। धारा 6 एक नाबालिग या पागल, या एक मूर्ख द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए एक मुकदमे की स्थापना या आवेदन करने को संदर्भित करती है जो विकलांगता समाप्त होने के बाद उसी अवधि के भीतर मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है।

24. धारा 9,10 और 11 वाद का उल्लेख करती हैं। धारा 12 सीमा अवधि की गणना से संबंधित है। यह धारा किसी अपील के लिए सीमा की अवधि की गणना या अपील करने की अनुमति के लिए या संशोधन के लिए या किसी निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन को संदर्भित करती है, जो स्पष्ट रूप से निर्णय के लिए था। एक अदालत से। धारा 13 पुनः न्यायालय को संदर्भित करती है। धारा 14 विशेष रूप से न्यायालय को संदर्भित करती है। अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार हैः

" धारा 14. अधिकारिता के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्करण। (1) किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस समय के दौरान जिसके दौरान वादी उचित परिश्रम के साथ अभियोजन कर रहा है, प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां कार्यवाही उसी मुद्दे से संबंधित है और उस अदालत में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, वह समय जिसके दौरान आवेदक उचित परिश्रम के साथ एक अन्य दीवानी कार्यवाही का मुकदमा चला रहा है, चाहे वह पहली बार की अदालत में हो या अपील या संशोधन की, उसी पक्ष के खिलाफ

समान राहत को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर पहली बार या अपील या संशोधन की गणना में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है, उसी राहत के लिए उसी पक्ष के खिलाफ बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही
पर न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है -

इसका मनोरंजन करें।
(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXIII के नियम 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रावधान

उप-धारा (1) की धारा उस आदेश के नियम के तहत अदालत द्वारा दी गई अनुमति पर शुरू किए गए नए मुकदमे के संबंध में लागू होगी, जहां ऐसी अनुमति इस आधार पर दी जाती है कि पहला मुकदमा किसी अन्य अदालत की अधिकारिता में किसी दोष के कारण विफल होना चाहिए। एक समान प्रकृति का कारण।

एनईएसएएन वी। COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए -

और जिस दिन यह समाप्त हुआ, दोनों की गिनती की जाएगी। (ख) अपील का विरोध करने वाले वादी या आवेदक को कार्यवाही का अभियोजन करने वाला माना जाएगा।

(ग) पक्षकारों की गलती या कार्रवाई के कारणों को माना जाएगा।

अधिकारिता के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण होना।

21. बाद की धारा 16 और 17 मुकदमों का उल्लेख करती हैं। धारा 18 से

लाभ में सीमा की गणना से संबंधित विभिन्न प्रावधान होते हैं। इसके बाद धारा 29 आती है, जो एक बचत प्रावधान है। धारा 29 है

नीचेः

" धारा 29. बचत। – (1) इस अधिनियम में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25।

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए उस अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

अनुसूची द्वारा विहित, धारा 3 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी बैठक, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी सीमा की अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 5 से 24 (जिसमें शामिल हैं) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे, जहां तक और जिस हद तक वे ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।

(3) विवाह और तलाक के संबंध में कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम में कुछ भी नहीं है।

ऐसी किसी विधि के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाही पर लागू होगा।

(4) धारा 25 और 26 और धारा 2 में "सहजता" की परिभाषा उन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले मामलों पर लागू नहीं होगी, जहां भारतीय सहजता अधिनियम, 1882 कुछ समय के लिए लागू हो सकता है।

22. अधिनियम की अनुसूची में "सीमा की अवधि" का प्रावधान है। टी डिवीजन विभिन्न प्रकार के सूट से संबंधित है। द्वितीय प्रभाग अपीलों से संबंधित है और तृतीय प्रभाग आवेदनों से संबंधित है। जिन मुकदमों, अपील आवेदनों को अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, वे स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित अधिनियम में निर्दिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार न्यायालय में दायर किए जाने वाले मुकदमे, अपील और आवेदन हैं।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. धारा 29 (2) में प्रावधान है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है, वहां धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से और धारा 4 से 21 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जहां तक और जिस हद तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। क्या किसी विशेष या स्थानीय कानून में किसी मुकदमे या आवेदन की सीमा की अपील का प्रिस्क्रिप्शन अदालत में दायर किए जाने वाले मुकदमे, आवेदन या अपील से संबंधित है या यह वैधानिक अधिकारियों और न्यायाधिकरणों को भी संदर्भित कर सकता है, इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। विधानमंडल द्वारा विभिन्न विषयों, विभिन्न अधिकारों और देनदारियों, स्थापना की कार्यप्रणाली, अधिकारों और देनदारियों का निर्धारण और उनमें प्रदान किए गए उपचारों को शामिल करते हुए विभिन्न विशेष या स्थानीय कानून बनाए गए हैं। विशेष या स्थानीय कानून न्यायालयों में मुकदमों, अपीलों और आवेदनों की संस्था, यानी दीवानी न्यायालय और इसके सामान्य पदानुक्रम के माध्यम से भी उपचार प्रदान कर सकता है और अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने और उपचार प्रदान करने के लिए विशेष मंच भी बना सकता है। अधिकारों, देनदारियों और उपचारों को निर्धारित करने के लिए सांविधिक प्राधिकरणों के निर्माण का सबसे आम उदाहरण कर लगाने वाले कानून हैं जहां मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को अधिकारियों के पदानुक्रम के साथ प्रदान किया गया है। अपील और संशोधन का उपाय कर लगाने वाले कानूनों में भी प्रदान किया गया है जो अधिकारी सामान्य दीवानी अदालतों से अलग हैं। धारा 29 (2) विभिन्न विशेष या स्थानीय कानूनों के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों में विचार के लिए आई। इस न्यायालय के पास विभिन्न कानूनों के संदर्भ में सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर था, जिसमें अदालतों/प्राधिकरणों/न्यायाधिकरणों में मुकदमे, अपील या आवेदनों के प्रावधान शामिल हैं। इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान केवल तभी निर्देशित किए जाते हैं जब किसी न्यायालय में मुकदमा, अपील या आवेदन दायर किया जाना हो जब तक कि किसी विशेष या स्थानीय कानून में स्पष्ट प्रावधान न हों।

24. धारा 29 (2) भी कई मामलों में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई। वहाँ मामलों का एक और समूह है जहाँ यह माना गया था कि

सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को कानूनी प्राधिकरणों और न्यायाधिकरण के समक्ष विशेष/स्थानीय कानून के तहत दायर किए जाने वाले मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए भी लागू किया जाना है। हम वर्तमान मामले में लागू किए जाने वाले अनुपात का पता लगाने के लिए मामलों के दोनों सेटों पर ध्यान देंगे।
25. ध्यान दिया जाने वाला पहला मामला नगर नगर परिषद, अथानी बनाम है। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हुबली, (1969) 1 गणेशन बनाम।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

एससीसी 873। उपरोक्त मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के तहत विभिन्न श्रमिकों द्वारा आवेदन दायर किए गए थे।

अपीलार्थी। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त में जिस प्रश्न पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 137 औद्योगिक अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के तहत आवेदनों को नियंत्रित करता है। विवाद अधिनियम, 1947। सीमा अधिनियम, 1963 के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 12 ..... इस प्रभाग में विभिन्न अनुच्छेदों के दायरे को इतना विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि उनके भीतर अदालतों के अलावा अन्य निकायों, जैसे कि अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण, या यहां तक कि एक कार्यकारी प्राधिकरण के लिए आवेदन शामिल किए जा सकें। एक औद्योगिक न्यायाधिकरण या अधिनियम के तहत आवेदनों या संदर्भों से निपटने वाला श्रम न्यायालय अदालतें नहीं हैं और वे किसी भी तरह से सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित नहीं हैं। इसलिए हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि यह अनुच्छेद

औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय में किए गए आवेदनों पर भी लागू होगा।

99

26. नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य,

(1965) 2 एस. सी. सी. 199 के पास श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (1) और (2) के तहत दायर एक आवेदन पर सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के लागू होने पर विचार करने का अवसर था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीमा अधिनियम की योजना यह है कि यह केवल न्यायालयों में आवेदन से संबंधित है, और श्रम न्यायालय सीमा अधिनियम, 1963 के भीतर एक न्यायालय नहीं है। पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

अधिनियम, 1963 विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित अन्य सभी आवेदन अदालत में दायर किए गए आवेदन हैं। सीमा की आगे की धारा 4 अधिनियम, 1963, आकस्मिकता का प्रावधान करता है जब किसी भी आवेदन के लिए निर्धारित अवधि अवकाश पर समाप्त हो जाती है और एकमात्र आकस्मिकता पर विचार किया जाता है जब "अदालत बंद हो जाती है।" फिर से धारा 5 के तहत यह केवल एक अदालत है जो निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद एक आवेदन स्वीकार करने में सक्षम है यदि अदालत संतुष्ट है कि

आवेदक के पास आवेदन को प्राथमिकता नहीं देने का पर्याप्त कारण था। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय सीमा अधिनियम की योजना यह है कि यह [2019] 7 एस. सी. आर.

केवल अदालतों में आवेदनों से संबंधित है, और यह कि श्रम न्यायालय भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 के भीतर एक अदालत नहीं है।

27. इस न्यायालय की तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ को यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 और सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों पर बिक्री कर आयुक्त अधिनियम, 1948, यू. पी. लखनऊ बनाम में विचार करने का अवसर मिला। एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर, (1975) 4 एस. सी. सी. 22. उपरोक्त मामले में विचार के लिए आया प्रश्न पैराग्राफ 1 में नोट किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 1. विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों में निर्धारण के लिए कानून का सामान्य प्रश्न हैः क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) को संदर्भ में, या सिद्धांत रूप में, यू. पी. बिक्री कर नियमों के नियम 68 (6) के तहत किसी आवेदन पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय को हटाने के लिए लागू किया जा सकता है, ताकि यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, "बिक्री कर अधिनियम") के तहत चूक में अपील को खारिज करने के आदेश को इसके लिए सीमा की अवधि की गणना से अलग किया जा सके।

उस अधिनियम के तहत पुनरीक्षण दाखिल करना?

28. मूल्यांकन आदेश के खिलाफ निर्धारिती की अपीलों को 10.05.1963 पर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। निर्धारिती ने इसके लिए आवेदन किए

बर्खास्तगी आदेश को दरकिनार करना। बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के तहत पुनरीक्षण याचिकाएं अपील खारिज होने के 18 महीने से अधिक समय बाद दायर की गई थीं। निर्धारिती ने चूक में अपीलों को खारिज करने को दरकिनार करने के लिए अभियोजन कार्यवाही में अपने द्वारा बिताए गए समय को हटाने के लिए प्रार्थना की। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने आवेदन करके बिताए गए समय को बाहर रखा

सीमा अधिनियम की धारा 14। आयुक्त ने उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया कि क्या मामले की परिस्थितियों में, सीमा अधिनियम की धारा 14 ने संशोधनों को दाखिल करने की अवधि को उस समय तक बढ़ा दिया जब तक कि बहाली के आवेदन लंबित रहे क्योंकि उन पर ईमानदारी से मुकदमा चलाया जा रहा था। हाईकोर्ट ने दिया जवाब सकारात्मक संदर्भ इस न्यायालय के समक्ष किस निर्णय पर सवाल उठाया गया था। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधीश (संशोधन) बिक्री-बिक्री कर अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले कर अदालतें नहीं हैं और इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होती है। इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 और 24 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 9 ..... इस न्यायालय के इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस तर्क के लिए कोई जगह नहीं है कि बिक्री कर अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधीश (संशोधन) बिक्री कर "अदालतें" हैं। वे केवल प्रशासनिक एन. ई. एस. ए. एन. बनाम हैं।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

न्यायाधिकरण और "अदालतें नहीं"। इसलिए, धारा 14, सीमा अधिनियम,

शब्दों में, ऐसी कार्यवाही से पहले की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है

न्यायाधिकरण...

24. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 का उद्देश्य, योजना और भाषा सीमा अधिनियम की धारा 14 (2) के आह्वान की अनुमति नहीं देती है, या तो संदर्भ में, या सिद्धांत रूप में, बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना से, चूक में अपीलों को खारिज करने के लिए अभियोजन कार्यवाही में बिताए गए समय को अलग करने के लिए। तदनुसार, हम

संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दें।

29. केरल राज्य विद्युत बोर्ड में, त्रिवेंद्रम बनाम.

कुन्हालियममा, (1976) 4 एस. सी. सी. 634, इस न्यायालय के पास सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को लागू करने का अवसर था, जो टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 के तहत दायर किया गया था। उपरोक्त में यह न्यायालय दोनों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न है-अथानी के मामले में न्यायाधीश पीठ

अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत आवेदन नहीं है

सी. पी. सी. द्वारा या उसके तहत विचार किए गए आवेदन पर विचार किया गया है, हालांकि, टेलीग्राफ अधिनियम के तहत विचार किया गया आवेदन एक आवेदन होना चाहिए।

अदालत। पैराग्राफ 18 और 22 में निम्नलिखित कहा गया हैः

और निर्धारित अवधि का विस्तार यदि आवेदक या अपीलार्थी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास वरीयता न देने के लिए पर्याप्त कारण था ऐसी अवधि के दौरान अपील या आवेदन करना।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह यह है कि 1963 के सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 किसी भी अधिनियम के तहत दीवानी अदालत में दायर किसी भी याचिका या आवेदन पर लागू होगा। इस संबंध में हम अथानी नगर परिषद मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न हैं और मानते हैं कि 1963 के सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके तहत विचार किए गए आवेदनों तक ही सीमित नहीं है। वर्तमान मामले में याचिका अदालत के रूप में जिला न्यायाधीश के पास थी। न्यायिक निर्णय के लिए टेलीग्राफ अधिनियम द्वारा इस याचिका पर विचार किया गया था। याचिका 1963 के सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के दायरे में आने वाला एक आवेदन है।

30. उपरोक्त मामले में चूंकि टेलीग्राफ अधिनियम के तहत आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, इसलिए इस न्यायालय ने माना कि

सीमा अधिनियम लागू था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपर्युक्त मामलों में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम के तहत विचार किए गए आवेदन न्यायालय में आवेदन हैं, लेकिन उपरोक्त मामलों में न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) का उल्लेख नहीं किया।

31. सकुरू बनाम तानाजी, 1985 (3) एस. सी. सी. 590 में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपरोक्त मामले में सवाल यह था कि क्या न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने में देरी के तहत

धारा 19 सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत क्षम्य है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान केवल 'अदालतों' में कार्यवाही पर लागू होते हैं और अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों या कार्यकारी प्राधिकरणों जैसे न्यायालयों के अलावा अन्य निकायों के समक्ष अपील या आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निकायों या प्राधिकरणों को सिविल या आपराधिक प्रक्रिया संहिताओं के तहत अदालतों को प्रदत्त कुछ निर्दिष्ट शक्तियों के साथ निहित किया जा सकता है। पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 3. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस अपील में कोई सार नहीं है और वेंकैया मामले में डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया विचार पूरी तरह से है।

सही और ध्वनि। यह नगर नगर परिषद बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, नित्यानंद एम. जोशी बनाम। भारतीय जीवन बीमा निगम और सुशीला देवी बनाम। रामानंदन प्रसाद ने कहा कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान केवल "अदालतों" में कार्यवाही पर लागू होते हैं और अदालतों के अलावा अन्य निकायों के समक्ष अपील या आवेदनों पर नहीं।

अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों या कार्यकारी प्राधिकरणों के रूप में, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे निकायों या प्राधिकरणों को सिविल संहिता या एन. ई. एस. ए. एन. v के तहत अदालतों को प्रदान की गई कुछ निर्दिष्ट शक्तियों के साथ निहित किया जा सकता है।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

दंड प्रक्रिया। कलेक्टर जिनके समक्ष अपील की गई थी

अधिनियम की धारा 90 के तहत यहाँ अपीलार्थी द्वारा पसंद नहीं किया गया है न्यायालय होने के कारण, सीमा अधिनियम, उनके समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं होता था।

99

32. हालाँकि, इस न्यायालय ने आगे कहा कि प्रासंगिक विशेष क़ानून में एक स्पष्ट प्रावधान है जो कलेक्टर के रूप में अपीलीय प्राधिकरण को सीमा की निर्धारित अवधि बढ़ाने के लिए प्रदान करता है, जिसकी जाँच विशेष क़ानून की योजना को देखते हुए की जानी है। अधिनियम की धारा एफ की प्रयोज्यता से संबंधित एक प्रावधान थाटैशन अधिनियम। उक्त प्रावधान का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि 1958

यह इंगित नहीं करता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू है।

पैराग्राफ 3 में आगे विंग निर्धारित किया गया थाः

" 3 ..... लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रासंगिक विशेष

कानून में एक स्पष्ट प्रावधान हो सकता है जो

अपीलीय प्राधिकरण, जैसे कि कलेक्टर, विस्तार करने की शक्ति

पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सीमा की निर्धारित अवधि यह निर्धारित करके कि सीमा की धारा 5 के प्रावधान

ऐसी कार्यवाहियों पर अधिनियम लागू होगा। इसलिए यह बन जाता है यह जांचने के लिए आवश्यक है कि क्या अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है

दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम अपील करें। इसमें अपीलार्थी द्वारा एकमात्र प्रावधान पर भरोसा किया गया था।

संबंध अधिनियम की धारा 93 है जो, जैसा कि यह प्रासंगिक था

समय, निम्नलिखित शब्दों में थाः

93. सीमाएँ। - प्रत्येक अपील और प्रत्येक आवेदन के लिए

इस अधिनियम के तहत पुनरीक्षण उस आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर किया जाएगा जिसके खिलाफ अपील या आवेदन किया गया है। दाखिल किया गया और भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के प्रावधान उक्त अवधि की गणना के उद्देश्य से लागू होंगे।

प्रभाव केवल कार्यवाही से पहले लागू करने के लिए है कलेक्टर, से संबंधित सीमा अधिनियम के प्रावधान

" सीमा की अवधि की गणना "। सीमा अवधि की गणना से संबंधित प्रावधान धाराओं में निहित हैं।

12 24 को सीमा अधिनियम, 1963 के भाग III में शामिल किया गया। खंड 5

"अवधि की गणना" से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है

सीमा "। यह गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होता है। और यह पाया जाता है कि [2019] 7 एस. सी. आर. के बाद एक अपील या आवेदन दायर किया गया है।

अधिनियम का प्रभाव सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों को कार्यवाही पर लागू करने का नहीं था। कलेक्टर के सामने "।

33. विशेष कार्य अधिकारी (भूमि अधिग्रहण) में यह न्यायालय

और एक अन्य बनाम शाह मणिलाल चंदूलाल और अन्य, (1996) 9 एस. सी. सी. 414, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है।

धारा 18 के तहत इस आधार पर निर्देश कि यह सीमा द्वारा वर्जित था। एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें तर्क दिया गया था कि सीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रावधान कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। उच्च न्यायालय ने तर्क को स्वीकार कर लिया और उस देरी को माफ कर दिया जिसके खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष फैसले की अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा

5 सीमा अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित कहा गया थाः

इसलिए, कलेक्टर/एल. ए. ओ. एक अदालत नहीं है जब वह धारा 18 (1) के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 5 को सीमा अवधि के विस्तार के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 18 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत विहित। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही नहीं था कि कलेक्टर

यह सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अदालत है। 34. एक और निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है समेकित।

इंजीनियरिंग उद्यम बनाम। प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य, (2008) 7 एस. सी. सी. 169. सवाल यह है कि उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था

पैराग्राफ 18 में उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 18. न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पूछा गया प्रश्न यह है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर लागू होगा। द्वारा दिए गए पुरस्कार को अलग रखने के लिए 1996 का अधिनियम

मध्यस्थ... "एनईएसएएन बनाम.

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]35. धारा 34 की उप-धारा (3) के प्रावधान को ग्राफ 19 के रूप में देखा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 19. परंतुक के साथ पठित धारा 34 की उप-धारा (3) के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 34 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों पर अधिनिर्णय को अलग करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर करना होगा। पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

30 दिनों की एक और अवधि लेकिन उसके बाद नहीं। इसका मतलब है कि जहां तक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन का संबंध है, निर्धारित सीमा की अवधि तीन महीने है जिसे 30 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर

अदालत की संतुष्टि "।

36. सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 का उल्लेख किया गया था। इस न्यायालय ने नोटिस करने के बाद

धारा 34 की राय है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 है पक्षपाती। पैराग्राफ 20 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 20. सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रदान करती है कि जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए निर्धारित करता है, वहां अपील या आवेदन की अवधि से अलग सीमा की अवधि

अनुसूची द्वारा निर्धारित सीमा, धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि द्वारा निर्धारित अवधि थी

अनुसूची और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी सीमा की अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान केवल उस हद तक लागू होंगे जब तक वे ऐसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। जब कोई विशेष क़ानून सीमा की कुछ अवधि निर्धारित करता है और साथ ही पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर निर्दिष्ट समय-सीमा तक विस्तार का प्रावधान करता है, तो विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि प्रबल होगी और उस हद तक सीमा अधिनियम के प्रावधान कायम रहेंगे।

बहिष्कृत। उप-धारा को अधिनियमित करने में विधायिका के इरादे के रूप में

(3) अधिनियम की धारा 34 का यह कहना है कि अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए और पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अवधि को 30 दिनों की एक और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, इस न्यायालय की राय है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता धारा 29 (2) के प्रावधानों के कारण बाहर है।

सीमा अधिनियम। तथापि, केवल इसलिए कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 किसी अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर लागू नहीं होती है, एक यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान भी इसके तहत प्रस्तुत आवेदन पर लागू नहीं होंगे।

1996 के अधिनियम की धारा 34 "।

37. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय एस. टी. बनाम के पहले के फैसले पर ध्यान दिया। पार्सन उपकरण और पौधे। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए शुरू किए गए संशोधन "अदालतें" नहीं हैं-न्यायाधीशों की पीठ ने सी. एस. टी. बनाम. पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण न्यायालय न्यायालय नहीं थे इसलिए उन्हें अलग किया गया। पैराग्राफ 26 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं थी, यह था कि अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षण प्राधिकरण "अदालत" नहीं थे। न्यायालय द्वारा इंगित पुनरीक्षण शक्तियों की कठोर विशेषताओं से पता चलता है कि विधायिका ने जानबूझकर सीमा अधिनियम की धारा 5 और 14 के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बाहर कर दिया था। यहाँ इस मामले में, न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियों के दायरे की जांच करने के लिए नहीं कहा जाता है। इस मामले में न्यायालय अधिनियम की धारा 34 पर विचार कर रहा है जो पहली बार की अदालत को निर्दिष्ट आधारों पर एक मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार को रद्द करने की शक्तियां प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार का मामला कि मंच जिनके समक्ष

भारत सरकार के उपक्रम ने इसके लिए कार्यवाही शुरू की थी

मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करना "अदालतें" नहीं हैं। इन स्पष्ट विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि सी. एस. टी. में दिए गए निर्णय ने उस मुद्दे का निर्णय नहीं किया जो इस न्यायालय के विचार के लिए आता है और इसलिए, उक्त निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान इसके तहत प्रस्तुत आवेदन पर लागू नहीं होते हैं।

1996 के अधिनियम की धारा 34। ”

38. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि मध्यस्थता की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू होती है।

1996. आर. वी. रवींद्रन, जे. ने अपनी सहमति वाली राय में कहा है कि सीमा अधिनियम की धारा 3 और 29 (2) कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

न्यायाधिकरण के समक्ष, न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील या आवेदनों के लिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो। पैराग्राफ 44 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 44. इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुसूची सीमा अधिनियम केवल कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है।

न्यायालयों में और न कि किसी न्यायाधिकरण या अर्ध के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए

न्यायिक प्राधिकरण। नतीजतन, धारा 3 और 29 (2)

इसका मतलब है कि सीमा अधिनियम अपीलों पर लागू नहीं होगा या न्यायाधिकरणों के समक्ष आवेदन, जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो।

39. सबसे विस्तृत निर्णय में कहा गया है कि सीमा अधिनियम

एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम में इस न्यायालय का निर्णय केवल अदालतों पर लागू होता है और न्यायाधिकरणों पर नहीं। केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, 2015 (7) एस. सी. सी. 58, रोहिंटन फली नरीमन, जे. ने अदालत की ओर से बोलते हुए दो न्यायाधीशों और तीन न्यायाधीशों के पहले के सभी फैसलों की समीक्षा की।

इस न्यायालय की पीठें। पैराग्राफ 11 से 35 में पहले के सभी निर्णयों पर विचार किया गया है। उपरोक्त मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (अपील)

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपील समय द्वारा वर्जित है और आयुक्त (अपील) के पास सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 में निर्दिष्ट अवधि से अधिक देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी। में।

उपरोक्त मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ मांगा गया था। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सीमा अधिनियम की धारा 2, सीमा अधिनियम की धारा 14 आपराधिक, विशेष या स्थानीय कानून पर भी लागू होती है। इस न्यायालय ने धारा 14 की प्रयोज्यता के अवयवों पर ध्यान दिया। दो-न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कि सीमा अधिनियम के प्रावधान केवल न्यायालयों में दायर मुकदमों, अपीलों और आवेदनों पर लागू होते हैं। इस न्यायालय द्वारा धारा 29 (2) पर भी विचार किया गया था और पैराग्राफ 33 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 33 ..... धारा 29 (2) में कहा गया हैः

" 29. बचत। (1)

*

*

*

(2) जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए विहित करता है,

अपील या आवेदन से अलग सीमा की अवधि

अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि, धारा 3 के प्रावधान

लागू होगा जैसे कि ऐसी अवधि द्वारा निर्धारित अवधि थी

अनुसूची और किसी भी अवधि को निर्धारित करने के उद्देश्य से

किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा

विशेष या स्थानीय कानून, धारा 4 से [2019] 7 एस. सी. आर. में निहित प्रावधान।

24 (समावेशी) केवल उस हद तक लागू होगा जब तक, और

जो, वे इस तरह के विशेष या स्थानीय द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं

कानून "।

इस खंड को नंगे पढ़ने से पता चलेगा कि विशेष या स्थानीय

उसमें वर्णित विधि को किसी भी वाद, अपील या

निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा की अवधि के लिए आवेदन

अनुसूची के अनुसार। इसका मतलब यह होगा कि इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून को यह निर्धारित करना होगा कि मुकदमा, अपील या

इसके तहत दायर किया जाने वाला आवेदन एक मुकदमा, अपील या

अनुसूची में वर्णित प्रकृति का अनुप्रयोग। हमारे पास है।

86 पहले से ही अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मुकदमे, अपील या आवेदन जो हैं

अनुसूची में निर्दिष्ट केवल न्यायालयों के लिए हैं न कि अर्ध के लिए

न्यायिक निकाय या न्यायाधिकरण। इसलिए यह स्पष्ट है कि केवल जब ए

अनुसूची में दिए गए विवरण का मुकदमा, अपील या आवेदन

किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत अदालत में दायर किया जाए कि

आकर्षित होता है। इस खंड को पढ़ने से यह और भी स्पष्ट हो जाता है।

29 (3) . धारा 29 (3) में कहा गया हैः

" 29. बचत। - (1) - (2)

*

*

*

(3) कुछ समय के लिए किसी भी कानून में अन्यथा प्रदान किए गए अनुसार बचत करें।

विवाह और तलाक के संबंध में बल, इस अधिनियम में कुछ भी नहीं ऐसे किसी कानून के तहत किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर लागू होगा।

जब विवाह और तलाक के कानून की बात आती है, तो धारा

न केवल मुकदमों बल्कि अन्य कार्यवाहियों की भी बात करता है। इस तरह

कार्यवाही ऐसी कार्यवाही हो सकती है जो न तो अपील है और न ही

इस प्रकार यह स्पष्ट करने वाले आवेदन कि विवाह से संबंधित कानून

और सीमा कानून के विपरीत तलाक में कार्यवाही शामिल हो सकती है।

अदालतों में दायर मुकदमों, अपीलों या आवेदनों के अलावा। यह फिर से इस तथ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है कि सीमा की संपूर्णता

धारा 29 (2) सहित अधिनियम केवल तीन प्रकार पर लागू होगा -

जिन कार्यवाही का उल्लेख किया गया है, उन सभी को अदालतों में दायर किया जाना है।

40. दो-न्यायाधीश पीठ ने हालांकि यह अभिनिर्धारित किया कि धारा के प्रावधान

निश्चित रूप से लागू होता है। हम वर्तमान मामले में केवल चिंतित हैं

सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता।

41. अब, हम उन मामलों के दूसरे समूह पर आते हैं जो

विशेष और स्थानीय कानून पर सीमा अधिनियम के प्रावधान। बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. बनाम यू. पी. मामले में तीन ई. पीठ का फैसला।

गणेशन वी. COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

एम/एस। मदन लाल दास एंड संस, बरेली, (1976) 4 एस. सी. सी. 464, पर उत्तरदाताओं के वकील ने भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में निर्धारण वर्ष 1960-61 से संबंधित एक अपील का निर्णय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया गया था। अपीलीय आदेश की प्रति विक्रेता को 02.08.1965 पर दी गई थी। विक्रेता ने अपीलीय आदेश की प्रति खो दी और 15.06.1966 पर आदेश की एक और प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जो 17.08.1967 पर तैयार थी। उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 10 के तहत पुनरीक्षण विक्रेता द्वारा 09.09.1967 पर न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री कर के समक्ष दायर किया गया था। विक्रेता ने दावा किया कि प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (2) के तहत बाहर रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश (संशोधन) ने तर्क को स्वीकार कर लिया और गुण-दोष के आधार पर संशोधन का निर्णय लिया। बिक्री कर आयुक्त के कहने पर उच्च न्यायालय को एक प्रश्न भेजा गया था कि क्या विक्रेता द्वारा अपीलीय आदेश की एक और प्रति प्राप्त करने में लिए गए समय को अधिनियम, 1948 की धारा 10 (1) के तहत संशोधन दाखिल करने के लिए सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने व्यापारी के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ सवाल का जवाब दिया।

42. बिक्री कर आयुक्त ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय में एक अपील दायर की। इससे पहले यह दावा किया गया था

यह न्यायालय कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण न्यायालय का गठन करता है और उच्च न्यायालय ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12 (2) पर भरोसा करने में त्रुटि की है। फैसले के पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

धारा 12 (2) में निहित प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम में संशोधन आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से छोड़कर कुछ भी नहीं है। अतः यह निष्कर्ष यह होगा कि 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) के प्रावधान उत्तर प्रदेश बिक्री कर की धारा 10 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने में भरोसा किया जा सकता है।

यम ". [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि फाइलिंग के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना में सीमा अधिनियम की धारा 12 (2) पर भरोसा किया जा सकता है।

पुनरीक्षण। जिस न्यायाधीश (संशोधन) के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया जाता है, वह न्यायालय नहीं है, यह यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 की योजना से स्पष्ट है। धारा 10, जिसके तहत पुनरीक्षण दायर किया जाता है, पुनरीक्षण प्राधिकरण का प्रावधान करती है।

धारा 10 (1) में पुनरीक्षण प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है जो इस प्रकार हैः

" धारा 10. पुनरीक्षण की शक्ति। - (1) राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) के तहत योग्य व्यक्ति को पुनरीक्षण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करेगी। उच्च न्यायालय "।

44. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि संशोधन अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष दायर किया जाना है और यह अदालत नहीं है। हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं कि बिक्री कर आयुक्त, यू. पी. लखनऊ बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। एम/एस। पारसन टूल्स एंड प्लांट्स, कानपुर (उपरोक्त) ने उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के तहत संशोधन प्राधिकरण के समक्ष सीमा अधिनियम, 1963 के लागू होने के सवाल पर विचार किया था। इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 9 में स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 10 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायाधीश (संशोधन) बिक्री कर अदालतें नहीं हैं, बल्कि केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं। सीएसटी में, यू. पी. बनाम एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स, प्रश्न सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता के संबंध में था। वे तीन। न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायाधीश (संशोधन) न्यायालय नहीं होने के कारण, सीमा अधिनियम की धारा 14 कार्यवाही पर लागू नहीं होती है

ऐसे न्यायाधिकरण के समक्ष। तीन से पहले-सी. एस. टी. की सुनवाई करने वाली न्यायाधीश पीठ, यू. पी. बनाम सी. एस. टी. एम/एस। मदन लाल दास एंड संस (ऊपर) दुर्भाग्य से समान संख्या का पूर्व निर्णय यानी तीन-सी. एस. टी., यू. पी. बनाम सी. एस. टी. में न्यायाधीश पीठ। एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स का उल्लेख नहीं किया गया था। सीएसटी, यू. पी. बनाम एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स का निर्णय उसी मुद्दे पर था अर्थात न्यायाधीश (संशोधन) के संदर्भ में सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता का प्रयोग करते हुए

यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, सी. एस. टी., यू. पी. बनाम के तहत अधिकार क्षेत्र एम/एस। पार्सन टूल्स एंड प्लांट्स (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा अधिनियम ऐसे प्राधिकरण पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार, तीन-न्यायाधीशों के फैसले पर न तो ध्यान दिया गया और सी. एस. टी., यू. पी. बनाम सी. एस. टी. में एक विपरीत विचार व्यक्त किया गया। एम/एस। मदन लाल दास

& बेटों। हमने यह भी देखा है कि नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य मामलों में पहले भी तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले हो चुके हैं। बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य (ऊपर) जहां यह था

अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम केवल मुकदमों, आवेदनों और अपीलों पर लागू होता है अदालतों में दायर किया गया। सी. एस. टी., यू. पी. बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। एम/एस।

मदन गणेशन बनाम। COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

लाल दास एंड संस ने समान शक्ति के पहले के फैसलों का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए हम पहले के तीन फैसलों का पालन करने के लिए राजी हैं-न्यायाधीश पीठ

सी. एस. टी., यू. पी. बनाम में इस न्यायालय का निर्णय एम/एस। पार्सन उपकरण और पौधे।

45. वह निर्णय जिस पर विद्वान द्वारा निर्भरता रखी गई है

प्रतिवादी के वकील मुकरी गोपालन बनाम चेप्पिलट हैं।

पुथनपुरायिल अबूबकर, (1995) 5 एस. सी. सी. 5. उपरोक्त मामले में, विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दायर करने में देरी को माफ करने की शक्ति है। वह मुद्दा जो

पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रभाव देखा गया हैः

" 1. इस विशेष अपील में एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल छोड़ दें।

दृढ़ संकल्प के लिए गिरता है। यह प्रभाव के लिए है कि क्या अपीलीय

केरल भवनों की धारा 18 के तहत गठित प्राधिकरण

(पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) 'किराया अधिनियम') के पास दाखिल करने में देरी को माफ करने की शक्ति है

उक्त धारा के तहत उसके समक्ष अपील करें। केरल का अधिकांश भाग

उच्च न्यायालय ने जोक्किम फर्नांडीस बनाम के मामले में। अमीना कुन्ही

उम्मा, ए. आई. आर. 1974 केर 162, ने यह विचार रखा है कि अपीलीय

प्राधिकरण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उक्त निर्णय के बाद एक प्रभाग

केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले और आदेश के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया है

जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील खारिज कर दी गई थी

समय की पाबंदी और देरी को माफ करने के लिए आवेदन था अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रखरखाव योग्य नहीं माना जाता है।

46. एक तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि अपीलीय प्राधिकरण

उपरोक्त अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश थे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जिला न्यायाधीश को अपीलीय शक्ति प्रदान करती है। निर्णय के पैराग्राफ 5 में प्राधिकरण को देखा और निकाला गया है। पैराग्राफ नंबर 5 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

... . इस स्तर पर यह उपयोगी होगा

" 5. .....

ध्यान दें कि केरल सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 18 (1) ने जिला न्यायाधीशों को एक अधिसूचना जारी की है।

केरल किराया के उद्देश्य के लिए अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियाँ

एक्ट करें। उक्त अधिसूचना इस प्रकार हैः

" भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965-अधिसूचना। के तहत

धारा 18 (1) जिला न्यायाधीशों को शक्तियां प्रदान करती है - अपीलीय प्राधिकरण [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(26 सितंबर को केरल राजपत्र संख्या 38 में प्रकाशित,

1989 : एसआरओः 1631 1989)

सूचना

1989 का एस. आर. ओ. सं. 1631 केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 (1965 का 2) की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर पिछली सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए,

केरल सरकार एतद्वारा जिला न्यायाधीशों को उन क्षेत्रों पर अधिकारिता प्रदान करती है जिनके भीतर उक्त अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया गया है, अपीलीय प्राधिकरणों की शक्तियां

उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त क्षेत्रों में।

47. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय प्राधिकारी था

व्यक्तित्व पदनाम "। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय

ब्रैटी जो जिला न्यायाधीश थे, वे अदालत होंगे न कि व्यक्ति

नाटा। पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 8 ..... जब कोई प्राधिकरण न्यायालय है या नहीं, यह तय करने के लिए उपरोक्त अच्छी तरह से तय परीक्षण शक्तियों पर लागू होते हैं

और किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण के कार्यों के लिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय के रूप में ऐसे प्राधिकरण का गठन करने के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक संलग्नक मौजूद पाए जाते हैं। वास्तव में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री नरीमन ने भी निष्पक्ष रूप से कहा कि ये अपीलीय अधिकारी करेंगे

अदालतें होंगी और व्यक्ति नामित नहीं होंगे।

48. धारा 29 (2) पर भी विचार किया गया। इस न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 29 (2) किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय न्याय के समक्ष दायर अपीलों की ओर आकर्षित होगी। पैराग्राफ 11 और 15 में

पंख लगा दिया गया हैः

" 11. यह भी स्पष्ट है कि एक बार उपरोक्त दो शर्तें हैं - संतुष्ट धारा 29 (2) अपने बल पर अपीलों की ओर आकर्षित होगी।

किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया। जब धारा 29 (2) किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलों पर लागू होती है, तो उस धारा के तहत अपीलों के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करने के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के सभी प्रावधान लागू होंगे। धारा 5 उनमें से एक होने के कारण आकर्षित होगी। यह भी स्पष्ट है कि कोई नहीं है

एन. ई. एस. ए. एन. v. को निकालते हुए किराया अधिनियम में कहीं भी बहिष्करण व्यक्त करें।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दायर अपीलों पर सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता।

नतीजतन, सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के आलोक में ऐसी अपीलों पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। जोक्किम फर्नांडीस बनाम में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के अल्पमत निर्णय द्वारा यह विचार लिया गया था। अमीना कुन्ही उम्मा। अधिकांश लोग इस गलत धारणा के कारण सहमत नहीं थे कि अपीलीय प्राधिकरण धारा 18 के तहत काम कर रहा है।

किराया अधिनियम एक व्यक्ति पदनाम है। एक बार जब यह धारणा गलत पाई जाती है जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि उक्त निर्णय में अल्पमत का दृष्टिकोण सही था और बहुमत का दृष्टिकोण गलत था।

15. भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 के निरसन और 1963 के वर्तमान सीमा अधिनियम द्वारा इसके प्रतिस्थापन के बाद एक मौलिक धारा 29 (2) में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान धारा 29 (2), जैसा कि पहले ही निकाला जा चुका है, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार आवश्यक

विशेष या स्थानीय कानून के तहत दी गई कार्यवाहियों पर इसके लागू होने की शर्तें आकर्षित होती हैं, धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान दोनों समावेशी होते हैं जो स्पष्ट रूप से धारा 5 में लाएंगे जो ऐसी कार्यवाहियों पर भी लागू होगी जब तक कि सीमा अधिनियम की उपरोक्त धाराओं में से कोई भी लागू न हो।

इस तरह के विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इस परिवर्तन द्वारा किसी विशेष कानून में स्पष्ट रूप से यह कहना आवश्यक नहीं है कि -

सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

इसके तहत अवधि के निर्धारण के लिए। धारा 29 (2) में निहित सामान्य प्रावधान द्वारा यह प्रावधान विशेष कानूनों के तहत निर्धारित अवधि के लिए लागू किया गया है। विशेष कानून में एक स्पष्ट उल्लेख केवल किसी भी बहिष्करण के लिए आवश्यक है। यह इस आधार पर है कि जब 1965 में नया किराया अधिनियम पारित किया गया था तो पुरानी धारा 31 में निहित प्रावधान को हटा दिया गया था। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमा की धारा 29 (2) के संयुक्त पठन पर

1963 के अधिनियम और 1965 के किराया अधिनियम की धारा 18, धारा 5 के प्रावधान स्वचालित रूप से उन कार्यवाहियों की ओर आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि 1965 के किराया अधिनियम में कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से किराया अधिनियम की धारा 18 के तहत अपीलों के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को छोड़ देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 5 अपील में आकर्षित थी जिसकी सुनवाई अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की जानी थी। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) में, मुकरी गोपालन को संदर्भित किया गया है और इस न्यायालय के पहले के तीन न्यायाधीशों के फैसलों को देखते हुए इसे अब अच्छा कानून नहीं माना गया है। मुकरी गोपालन के मामले से निपटना दूसरा-एम. पी. स्टील में न्यायाधीश पीठ

निगम ने पैराग्राफ 29 में निम्नलिखित निर्णय लिया थाः

" 29. मुकरी गोपालन मामला इस न्यायालय के कम से कम पांच पहले के बाध्यकारी फैसलों के साथ कदम से बाहर होने के अलावा, यह समेकित अंग्रेजी में बाद के फैसले के साथ भी मेल नहीं खाता है। उद्यम बनाम। सिंचाई विभाग। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) पर लागू होगी। मध्यस्थता के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद

अधिनियम और सीमा अधिनियम, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः .

32. जाहिर है, मुकरी गोपालन का अनुपात वर्ग नहीं है।

समेकित अंग्रेजी में तीन न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों के साथ। उद्यम। बाद के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पार्सन टूल्स इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि सीमा अधिनियम अर्ध-न्यायिक निकायों या न्यायाधिकरणों पर लागू नहीं होगा। इस हद तक कि मुकरी गोपालन समेकित अंग्रेज़ी के फैसले के साथ टकराव में हैं। उद्यम मामला, यह अब अच्छा नहीं है

कानून "।

50. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तीन पर भरोसा किया-मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के न्यायाधीश पीठ के फैसले और एक अन्य बनाम।

अंशुमन शुक्ला, (2014) 10 एस. सी. सी. 814। उपरोक्त मामले में यह न्यायालय इस बात की जांच कर रहा था कि क्या एम. पी. मध्यम अधिकारन अधिनियम, 1983 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करने में देरी सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करने के लिए अक्षम्य थी, धारा 29 (2) के साथ-साथ मुकरी गोपालन मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित किया गया था। पैराग्राफ 20 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 20. अधिनियम की धारा 19 उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि पीड़ित पक्ष पुरस्कार की तारीख के तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। उच्च न्यायालय को देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करने के लिए 2005 में इस धारा में संशोधन किया गया था।

गेनेसन बनाम। COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

यह विवाद 2005 से पहले का है, इस प्रकार,

वर्तमान मामले में असंशोधित अधिनियम लागू होगा।

51. अधिनियम, 1983 की विधायी योजना पर विचार करने के बाद पैराग्राफ 32 और 33 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 32. 1983 के अधिनियम की धारा 19 में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

तीन महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर सवार। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय को किसी भी समय पुरस्कार का रिकॉर्ड मांगने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायी इरादा 1983 के अधिनियम की धारा 19 पर सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करना था। 33. हमारी राय में, इस सवाल पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक अदालत है।

या वर्तमान मामले में मुद्दे का जवाब देने के लिए नहीं क्योंकि पुनरीक्षण दाखिल करने में देरी उच्च न्यायालय के समक्ष हुई है, न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष।

52. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि अधिनियम, 1983 की योजना से इस न्यायालय ने स्वयं पाया कि विधायी इरादा सीमा अधिनियम की धारा 5 की प्रयोज्यता को बाहर करना नहीं था। कोई विवाद नहीं हो सकता

प्रस्ताव है कि यदि विशेष या स्थानीय कानून की विधायी योजना इंगित करती है कि अधिनियम का उद्देश्य धारा 5 की प्रयोज्यता है। धारा 5 धारा 29 (2) के संचालन के साथ स्वतंत्र रूप से लागू होगी। हालाँकि, पैराग्राफ 33 में, न्यायालय ने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक अदालत है या नहीं। इस कारण से कि पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था और उच्च न्यायालय के रूप में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, इस प्रकार, जब पुनरीक्षण आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था तो धारा 29 (2) स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करने के लिए आकर्षित किया गया था। उक्त निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है कि सांविधिक प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों में जो न्यायालय नहीं हैं, सीमा अधिनियम की धारा 5 को आकर्षित किया जाएगा। प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय सैयद जलिल अख्तर बनाम जिला सहकारी है।

कृषि अवाम ग्राम विकास बैंक, आईडीटी। , (2016) 12 एससीसी 365। उपरोक्त मामले में यह न्यायालय माफी की शक्ति पर विचार कर रहा था एम. पी. सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 55 (2) के तहत अपील दायर करने में देरी। उच्च न्यायालय ने धारा 55 (2) के तहत दायर अपीलार्थी के आवेदन, एम. पी. राज्य सहकारी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है।

देरी की गई थी और चूंकि अपील दायर करने में देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं था और सीमा अधिनियम की धारा 5 भी लागू नहीं थी। दो-न्यायाधीश पीठ ने मुकरी गोपालन (ऊपर) को संदर्भित किया है। मुकरी गोपालन और अंशुमन शुक्ला पर भरोसा करते हुए दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होगी। में।

पैराग्राफ 11 और 12 निम्नलिखित माने गए हैं:

" 11. पैरा 34 में व्यक्त किए गए उक्त विचार पर ध्यान देने के बाद, मुकरी गोपालन मामले में इस अदालत के पहले के फैसले में किए गए विस्तृत विश्लेषण की तुलना में हमारा विचार है कि अंशुमन शुक्ला मामले में इस अदालत के बाद के बड़ी पीठ के फैसले के आलोक में, जिसने मुकरी गोपालन मामले में फैसले को अपनी मंजूरी की मुहर दे दी है, बाद के फैसले का हर तरह से पालन किया जा सकता है और नोहरलाल वर्मा मामले में लिए गए फैसले को अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है।

12. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा मुकरी गोपालन मामले और अंशुमन शुक्ला मामले में इस प्रकार निर्धारित कानून को लागू करते हुए हम हैं
इस बात से आश्वस्त हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 मामले पर हर तरह से लागू होगी और इसके परिणामस्वरूप जब हम देरी की सीमा पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8-9-1995 थी, आवेदन 11-9 1995 पर प्रस्तुत किया गया था, दो दिनों के बीच, अर्थात् 9-9-1995 और 10-9-1995 दूसरे शनिवार और रविवार थे। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी के लिए हर औचित्य और पर्याप्त कारण था

मूल प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने में उक्त दो दिनों को माफ करने के लिए उसका दावा। नतीजतन, हम स्वयं दो दिनों की उक्त देरी को माफ करते हैं और चूंकि न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 18-3-2009 के आदेश द्वारा केवल अपीलों को खारिज कर दिया
मूल आवेदन को प्राथमिकता देने में अपीलार्थी के कारण हुई देरी के एकमात्र आधार पर अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी का भी,

उक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

53. हम पहले ही देख चुके हैं कि एम. पी. स्टील में इस न्यायालय द्वारा मुकरी गोपालन को इस आधार पर एक अच्छा कानून नहीं माना गया था कि उसने पहले के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों पर ध्यान नहीं दिया है और बाद के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए, उक्त मामला एक अच्छा कानून नहीं है। जहाँ तक अंशुमन शुक्ला के मामले का संबंध है, हम पहले ही कर चुके हैं।

उक्त मामले में, उच्च न्यायालय में दायर संशोधन में सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के मुद्दे पर ध्यान दिया, उच्च न्यायालय एक न्यायालय होने के नाते, सीमा अधिनियम पूरी तरह से लागू था और उक्त निर्णय जे. ई. एस. ए. एन. बनाम का समर्थन नहीं करता है।

COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

यह अभिधारणा कि किसी न्यायालय के समक्ष आवेदन में, धारा 5

व्यावहारिक रूप से लागू होना।54. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों, अर्थात् तीन न्यायाधीश पीठों के निर्णय से जो अनुपात लिया जा सकता है, वह इस प्रकार हैः

(1) सीमा अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट वाद, अपील और आवेदन ऐसे वाद, अपील और आवेदन हैं जिन्हें न्यायालय में दायर किया जाना है।

(2) सीमा अधिनियम में निर्दिष्ट वाद, अपील और आवेदन वे वाद, अपील और आवेदन नहीं हैं जो आयुक्त जैसे वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष दायर किए जाने हैं।

अधिनियम, 1959।

(3) सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) का संचालन सीमित है।

न्यायालय में दायर किए जाने वाले विशेष या स्थानीय कानून में निर्दिष्ट मुकदमों, अपीलों और आवेदनों के लिए, न कि सांविधिक कानून के समक्ष अधिनियम, 1959 के तहत आयुक्त जैसे अधिकारी।

(4) हालांकि, विशेष या स्थानीय कानून वैधानिक योजना के माध्यम से कर सकते हैं

सीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करना या सीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता को बाहर करना जो

विशेष योजना को देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है,

विशेष या स्थानीय कानून।

55. हम, इस प्रकार, प्रश्न Nos.2 और 3 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैंः

(i) सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) की प्रयोज्यता है -

किसी भी वाद के लिए निर्धारित विभिन्न सीमाओं के संबंध में,

अदालत में अपील या आवेदन कब दायर किया जाना है।

((ii) धारा 29 (2) को किसी विशेष या स्थानीय कानून में प्रदान किए गए वैधानिक प्राधिकरणों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मुकदमे, अपील और आवेदन दायर करने के संबंध में सेवा में नहीं दबाया जा सकता है। आयुक्त अधिनियम, 1959 की धारा 69 के तहत अपील की सुनवाई करते समय अपील दायर करने में देरी को माफ करने का हकदार नहीं है, क्योंकि धारा 5 का प्रावधान इस प्रकार नहीं होगाः

अधिनियम की धारा 29 (2) के बल से आकर्षित।

प्रश्न संख्या 4

56. एक विशेष या स्थानीय कानून बहुत अच्छी तरह से लागू करने के लिए प्रदान कर सकता है

सीमा अधिनियम का संशोधन या किसी भी प्रावधान की प्रयोज्यता को बाहर करना

निटेशन अधिनियम। धारा 5 [2019] 7 एस. सी. आर. सहित सीमा अधिनियम के प्रावधान।

वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अपील पर निर्णय लेने में बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है

जो विशेष या स्थानीय कानून की वैधानिक योजना द्वारा न्यायालय नहीं है। इस प्रकार, हमें अधिनियम, 1959 के प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम, 1959 के तहत योजना से पता चलता है कि अधिनियम का उद्देश्य सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करना है।

57. धारा 110 पूछताछ में प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान करती है।

अध्याय V और VI के तहत। आयुक्त धारा 69 के तहत अपीलों की सुनवाई करता है जो अधिनियम के अध्याय V के तहत है। अधिनियम की धारा 110 इस प्रकार हैः

" धारा 110। जाँच में प्रक्रिया और शक्तियाँ

अध्याय 5 और 6-(1) जहां कोई आयुक्त या संयुक्त

आयुक्त या उपायुक्त जाँच करता है या

अध्याय 5 या अध्याय 6 के तहत किसी अपील की सुनवाई करने पर, जांच की जाएगी और अपील की सुनवाई, जितना हो सके, इस मामले में की जाएगी।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम 5) के तहत मुकदमे के मुकदमे के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार या

अपीलों की सुनवाई, जैसा भी मामला हो। (2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केंद्रीय अधिनियम I) और भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (1872 का केंद्रीय अधिनियम X) के प्रावधान।

1873) , ऐसी पूछताछों और अपीलों पर लागू होगा।

(3) आयुक्त 1 [या एक संयुक्त आयुक्त या एक

उपायुक्त] ऐसी जांच करना या ऐसी सुनवाई करना

अपील को न्यायिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति माना जाएगा

न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (केंद्रीय 1850 का अधिनियम XVIII)।

58. केवल यह तथ्य कि एक वैधानिक प्राधिकरण को अधिकार प्राप्त है

मुकदमे की सुनवाई या अपीलों की सुनवाई के लिए सी. पी. सी. के तहत प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया का पालन करें, वैधानिक

प्राधिकरण न्यायालय नहीं बनेगा। धारा 110 के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता हो कि अपील की सुनवाई में सीमा अधिनियम भी लागू किया गया है।

59. धारा 115 परिसीमा से संबंधित है। यह केवल प्रदान करता है कि

इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश या डिक्री के खिलाफ संशोधन के लिए किसी भी कार्यवाही, वाद, अपील या आवेदन के लिए अधिनियम, 1959 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करते हुए, ऐसे आदेश या डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को बाहर रखा जाएगा।

गणेशन वी. COMMNR। , टी. एन. हिंदू धार्मिक और विशिष्ट आर्थिक विकास बोर्ड [अशोक भूषण, जे.]

60. अधिनियम, 1959 की धारा 69 के प्रावधान से यह भी संकेत मिलता है कि विधानमंडल ने कभी भी सीमा की धारा 5 को लागू करने पर विचार नहीं किया।

आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में कार्य करें। ऊपर उल्लिखित धारा 69 (2) में यह प्रावधान है कि संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित कोई भी आदेश, जिसके संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई है, आयुक्त द्वारा स्वतः ही संशोधित किया जा सकता है और आयुक्त ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता या संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए कार्यवाहियों के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है। 61. इस प्रकार, धारा 69 (2) आयुक्त को संयुक्त आयोग की कार्यवाही के अभिलेखों की मांग करने और उनकी जांच करने की स्वतः शक्ति प्रदान करती है।

आयुक्त या उपायुक्त भले ही 60 दिनों के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई हो। आयुक्त को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपील दायर नहीं होने पर संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को सही किया जा सके। धारा 69 (1) के तहत समय के भीतर। धारा 69 की योजना विशेष रूप से उप-धारा (2) हमारे इस निष्कर्ष को भी फिर से लागू करती है कि विधानमंडल ने सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए धारा 69 (1) में धारा 5 को लागू करने पर कभी विचार नहीं किया।

62. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने 1959 के अधिनियम की धारा 116 के तहत बनाए गए दो नियमों का उल्लेख किया है, अर्थात् आवेदन और

अपील नियम दिनांक 30.08.1961 और पूछताछ नियम धारण दिनांक 30.08.1961। आवेदन और अपील नियम आवेदन, शपथ पत्र, अपील ज्ञापन, संशोधन के लिए आवेदन आदि दाखिल करने की प्रक्रिया और विवरण प्रदान करते हैं। उक्त नियम, किसी भी तरह से, प्रतिवादी के विद्वान वकील के इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है। इसी तरह, पूछताछ करने के नियमों में पूछताछ करने, नोटिस जारी करने आदि की प्रक्रिया का प्रावधान है। उपरोक्त नियम सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने पर भी कोई प्रकाश नहीं डालते हैं।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल सीमा की गणना का प्रावधान कार्यवाही पर लागू किया गया है। अधिनियम, 1959 के तहत। धारा 115 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि

धारा 5 की प्रयोज्यता। इस योजना में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अधिनियम, 1959 का उद्देश्य आयोग के समक्ष अपील की कार्यवाही के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करना है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम, 1959 की योजना के अनुसार लागू नहीं होती है।

64. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हुए अपील की अनुमति देते हैं। का आदेश

आयुक्त दिनांक 31.07.2013 को दरकिनार कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है।

65. हालाँकि, हम यह देख सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर अपील को खारिज करने से आयुक्त को इसमें बाधा नहीं मिलेगी। अधिनियम, 1959 की धारा 69 (2) के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए।

हालाँकि, हम वर्तमान मामले में धारा 69 (2) के तहत आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और यह आयुक्त पर है कि वह धारा 69 (2) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करे यदि वह इतना संतुष्ट है। इसके अलावा, यह कानून में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए खुले किसी भी अन्य उपाय के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा।

66. पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान